महाप्रबन्धक (औ0स0) e-mail-ashok.agnihotri@yahoo.com
शक्ति भवन: 14–अशोक मार्ग, लखनऊ–226001

सं0 : 142–विनियम एवं औस/ 11/पाकालि–7–विनियम/88 **दिनांक :** 4.11.2011

अधिसूचना
विविध

" आर्टिकिल ऑफ एसोसियेशन" में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग कर उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड कला संवर्ग के कार्मिकों की भर्ती, नियुक्ति तथा नियुक्त कार्मिकों की सेवा–शर्तों आदि के सम्बन्ध में निम्न विनियमावली प्रख्यापित करते हैं :–

उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड कला (ड्राइंग) सेवा विनियमावली, 2011
भाग –एक : सामान्य

1– संक्षिप्त नाम विस्तार एवं प्रारम्भ :

(1) यह विनियमावली "उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड कला (ड्राइंग) संवर्ग सेवा विनियमावली–2011" कहलाएगी।

(2) यह विनियमावली निर्गमन की तिथि से लागू मानी जाएगी।

(3) प्रस्तुत विनियमावली के निर्गमनोपरान्त उ0प्र0 लिपिकीय अधिष्ठान (मुख्य अभियन्ता कार्यालय एवं अन्य अधिनस्थ कार्यालय) विनियमावली 1970 में इंगित ट्रेसर, मानचित्रक एवं संगणक से सम्बन्धित प्राविधान विलोपित माने जायेगें।

(4) फेरोब्याय से सम्बन्धित संगत विनियमावली में इंगित प्राविधान इस विनियमावली के निर्गमनोपरान्त विलोपित माने जायेगें।

2– प्रास्थिति :

यह विनियमावली उ0प्र0 शासन के कार्यालय ज्ञाप सं0 2662/24–पी–2–2008–61एमई/2000–टीसी–3 दिनांक 11.09.2008 (परिशिष्ट–1) के अन्तर्गत संवर्ग के सभी सदस्य, जिनका उल्लेख उक्त **परिशिष्ट– दो** में है और जो उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 में नियुक्त है, पर लागू होगी।

3– परिभाषॉए : जब तक विषय या संदर्भ में कोई बात प्रतिकूल न हो, इस विनियमावली में –

3 (1)– "अध्यक्ष" का तात्पर्य उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक से है।

3 (2)– "निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशा0)" का तात्पर्य उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के निदेशक (कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन) से है।

3 (3)– "कारपोरेशन" का तात्पर्य उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड से है।

3 (4)– "सहयोगी कम्पनी" का तात्पर्य मध्यांचल विद्युत वितरण कम्पनी लि0/पश्चिमांचल विद्युत वितरण कम्पनी लि0/दक्षिणांचल विद्युत वितरण कम्पनी लि0/पूर्वांचल विद्युत वितरण कम्पनी लि0/कानपुर विद्युत वितरण कम्पनी लि0/उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड से है।

3 (5)– "लागू नियम" का तात्पर्य समय–समय पर लागू विभागीय नियमों से है।

3 (6)– "नियुक्ति प्राधिकारी" का तात्पर्य उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 द्वारा प्राधिकृत तत्समय "नियुक्ति अधिकारी" से है।

3 (7)– "भारत का नागरिक" का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो भारतीय संविधान के भाग–2 के अधीन भारत का नागरिक हो या समझा जाए।

3 (8)– "संविधान" का तात्पर्य भारत गण राज्य के संविधान से है।

3 (9)– "सरकार" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश सरकार से है।
3 (10)– "राज्यपाल" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश के महामहिम राज्यपाल से है।
3 (11)– "मुख्य अभियन्ता" का तात्पर्य उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत) अथवा, विद्युत वितरण कम्पनियो के मुख्य अभियन्ता (मा0सं0) से है जो अधिष्ठान कार्य देख रहे हो।
3 (12)– "मण्डल कार्यालय" का तात्पर्य अधीक्षण अभियन्ता के मण्डलीय कार्यालय से है।
3 (13)– "अधिशासी अभियन्ता" का तात्पर्य कारपोरेशन द्वारा नियुक्त खण्ड कार्यालय में तैनात अधिशासी अभियन्ता से है।
3 (14)– "अधिष्ठान" से तात्पर्य कला (ड्राइंग) संवर्ग से सम्बन्धित कार्मिकों के अधिष्ठान कार्यालय से है।
3 (15)– "मुख्य चिकित्सा अधिकारी" का तात्पर्य उ0प्र0राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0/उ0प्र0 सरकार द्वारा निर्दिष्ट "मुख्य चिकित्सा अधिकारी" से है।
3 (16)– "आयोग" का तात्पर्य कारपोरेशन के "विद्युत सेवा आयोग" से है।
3 (17)– "सीधी भर्ती" का तात्पर्य इस विनियमावली के प्राविधानों के अन्तर्गत की गयी सीधी भर्ती से है।
3 (18)– "भर्ती का वर्ष" का तात्पर्य किसी कैलेण्डर वर्ष की पहली जनवरी से उसी कैलेण्डर वर्ष के दिसम्बर माह की इकत्तीस तारीख तक की गई भर्ती से है।
3 (19)– "स्थायी कार्मिक" वह कार्मिक हो जिसको लिखित आदेश द्वारा सम्बन्धित संवर्ग के किसी पद पर नियुक्ति अधिकारी द्वारा स्थायी घोषित किया गया है।

भाग – दो : संवर्ग

4 – अधिष्ठानित सामर्थ्य :

सेवा के अन्तर्गत कला संवर्ग श्रेणी के प्रत्येक पदों की अवधारित संख्या उतनी ही रहेगी जितनी वर्तमान में है, जब तक कि उसमें बदलाव हेतु कोई कार्यकारी आदेश अन्यथा पारित न हो। सेवा के अर्न्तगत कारपोरेशन एवं सहयोगी कम्पनियो मे सृजित विभिन्न पदो की वर्तमान स्थिति **परिशिष्ट– दो** पर है।

प्रतिबन्ध यह है कि

(1) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा इस विनियमावली के अन्तर्गत कला संवर्ग के पदों में से कोई भी पद/पदों को बिना भरे कारपोरेशन हित में खाली छोड़ा अथवा स्थायी/अस्थायी रूप में आस्थगित रखा जा सकता है तथा इस सम्बन्ध में किसी भी व्यक्ति/सेवक को अनुतोष आदि पाने का कोई अधिकार नहीं होगा।

(2) इस विनियमावली के अन्तर्गत कारपोरेशन यदि आवश्यक समझे तो कारपोरेशन हित में अतिरिक्त स्थायी अथवा अस्थायी पदों का सृजन निर्धारित प्रकिया के अनुसार कर सकता है एवं अथवा पदों को समाप्त कर सकता है।

(3) कारपोरेशन द्वारा उपरोक्त प्रतिबन्ध (2) में सृजित किये गये अस्थायी/स्थायी पदों को कारपोरेशन हित में कभी भी कार्यकारी आदेशों से समाप्त/आस्थगित किया जा सकता है।

भाग – तीन : भर्ती

5 – भर्ती का स्त्रोत :

इस विनियमावली के अन्तर्गत कला (ड्राइंग) संवर्ग में आने वाले विभिन्न पदों हेतु भर्ती का स्त्रोत **परिशिष्ट –तीन** में इंगित प्रकार से होगा।

6 – अनुसूचित जाति/जन जाति/अ0पि0व0 तथा अन्य श्रेणियों हेतु आरक्षण :

सीधी भर्ती/पदोन्नति में कारपोरेशन द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों के अनुसार आरक्षण अनुमन्य होगा।

भाग – चार : योग्यताऍं

7 – राष्ट्रीयता :

सेवा में किसी पद पर भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी भारत का नागरिक हो ।

प्रतिबन्ध : यह है कि उत्तर प्रदेश में स्थाई रूप से रहने वाले अभ्यार्थियो को सदैव वरीयता दी जायेगी।

8 – आयु :

(क) सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थियों की आयु यथा समय कारपोरेशन द्वारा निर्धारित आयु सीमा के अन्तर्गत होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को अधिकतम् आयु–सीमा में छूट नियमानुसार अनुमन्य होगी।

(ख) कार्मिक की आयु की गणना जन्म तिथि के आधार पर की जाएगी। जन्म तिथि का साक्ष्य कार्मिक द्वारा चयन या ऐसे समय के भीतर जो नियुक्ति अधिकारी द्वारा निर्धारित किया जाए, प्रस्तुत करना होगा।

9 – अर्हता एवं शैक्षिक योग्यताऍं :

सेवा के पदों पर भर्ती/पदोन्नति के लिए अभ्यर्थी के पास **परिशिष्ट–तीन** में प्रदर्शित अर्हता होनी चाहिए।

10 – चरित्र :

(1) अभ्यर्थी प्रतिकूल चरित्र का न हो।

(2) भारत सरकार/राज्य सरकार/प्रतिष्ठान से नौकरी से निकाला न गया हो।

(3) किसी न्यायालय द्वारा दण्डित न किया गया हो।

नोट : 1 चरित्र तथा पूर्ववृत्ति की प्रमाणिकता के लिए आवश्यक सूचना **परिशिष्ट –चार** में उपलब्ध प्रपत्र पर भर कर अभ्यर्थी को साक्षात्कार/नियुक्ति के समय देना अनिवार्य होगा। अभ्यर्थी द्वारा उपलब्ध कराई गई यह सूचना नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा सत्यापित कराई जाएगी। नियुक्ति अधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि इस बिन्दु पर अभ्यार्थी की उपयुक्तता परिवीक्षावधि पूर्ण होने के भीतर ही सुनिश्चित कर ली जाए।

2. यदि सेवा के मध्य कभी भी पुलिस अथवा किसी अन्य से कार्मिक के चरित्र के प्रतिकूल सूचित किया जाता है तो ऐसे कार्मिक की सेवाऐं बिना किसी नोटिस/प्रतिकर अथवा वेतन के समाप्त की जा सकती है।

11 – वैवाहिक प्रास्थिति :

कोई पुरूष अभ्यर्थी, जिसकी एक से अधिक पत्नियॉ जीवित हों, अथवा कोई महिला अभ्यर्थी जिसने ऐसे पुरूष से विवाह किया हो जिसकी पहले से ही एक जीवित पत्नी हो अथवा जिसके एक से अधिक जीवित पति हों, सेवा में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगें। यदि नियुक्ति हो गई हो तो उसे बिना किसी सूचना/प्रतिकर अथवा वेतन के निरस्त कर दिया जायेगा। कारपोरेशन के समाधान होने पर विशेष कारणों के विद्यमान होने के सम्बन्ध में कारपोरेशन/विद्युत वितरण निगम लि0 किसी व्यक्ति को इस प्रविधान से शिथिलता प्रदान कर सकते हैं।

12 – शारीरिक स्वस्थ्यता :

प्रत्येक अभ्यर्थी को सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति के पूर्व उ0प्र0 के मुख्य चिकित्सा अधिकारी से इस आशय का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा कि वह शारीरिक, मानसिक रूप से सेवा के योग्य है।

भाग – पॉच : सीधी भर्ती हेतु प्रकिया

13 – भर्ती हेतु आवेदन :

(क) सम्बन्धित कार्यालयों की मॉग के अनुसार विद्युत सेवा आयोग द्वारा अपने विवेकानुसार विज्ञापन करा कर भर्ती हेतु नियमानुसार आवेदन–पत्र आमंत्रित किये जाएॅगे। आवेदन–पत्र का प्रारूप आयोग द्वारा निर्धारित किया जाएगा।

(ख) पहले से सरकारी सेवारत कार्मिक अपने विभागाध्यक्ष की पूर्व अनुमति से ही आवेदन कर सकेगें।

(ग) भर्ती हेतु परीक्षा/साक्षात्कार तिथियॉ आयोग द्वारा निर्धारित की जाएॅगी।

(घ) आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को नियमानुसार शुल्क/आयु में आरक्षण एवं शिथिलता अनुमन्य होगी।

14 – परीक्षा की विषय वस्तु :

अर्हता के अनुसार आयोग द्वारा निर्धारित की जाएगी।

15– आवेदन शुल्क :

समय–समय पर कारपोरेशन द्वारा निर्धारित किया जाएगा जो कि किसी भी दशा में वापिस नहीं होगा।

भाग – छः प्रोन्नति द्वारा भर्ती

16 – प्रोन्नति द्वारा भर्ती की प्रकिया :

(क) विनियमावली से आवरित पदो पर प्रोन्नति द्वारा भर्ती की समस्त कार्यवाही नियुक्ति अधिकारी के स्तर पर की जायेगी।

(ख) विनियमावली से आवरित पदों पर प्रोन्नति द्वारा भर्ती किये जाने हेतु मुख्य अभियन्ता (ज0वि0)/ विद्युत वितरण निगम लि0 के मुख्य अभियन्ता (मा0सं0)/नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा नियमानुसार चयन समिति का गठन किया जाएगा जो कि आगामी पूरे चयन वर्ष में नियमानुसार सम्भावित मौलिक, स्थानापन्न या अस्थाई उपलब्ध होने वाले रिक्त पदों पर प्रोन्नति हेतु पात्र अभ्यार्थियों का चयन कर उनकी प्रतीक्षा सूची अपने निगम स्तर पर बनांएगे।

(ग) संगणक हेतु चयन समिति में सम्बन्धित निगम क मुख्य अभियन्ता (मानव संसाधन)/उ0प्र0पा0का0लि0 हेतु मुख्य अभियन्ता (जल–विद्युत), अध्यक्ष एवं मुख्य अभियन्ता द्वारा मनोनीत अधीक्षण अभियन्ता श्रेणी के दो अधिकारी होगें। चयन समिति को यह अधिकार होगा कि वह चयन हेतु मार्ग दर्शिका निर्धारित कर सके।

भाग – सात : नियुक्ति अधिकारी

17 – नियुक्ति अधिकारी :

विनियमावली से आवरित तकनीकी सहायक (संगणक) पद के नियुक्ति अधिकारी मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत)/ विद्युत वितरण निगम लि0 के मुख्य अभियन्ता (मा0सं0) होगें। अधीक्षण अभियन्ता अपने मण्डल तथा अपने मण्डल के खण्डीय कार्यालय में नियुक्त मानचित्रको के नियुक्ति प्राधिकारी होगे।

18 – सम्मिलित चयन सूची :

तकनीकी सहायक (संगणक) के पद के लिए नियुक्ति अधिकारी प्रत्येक वर्ष कारपोरेशन द्वारा सीधी भर्ती से चयनित अभ्यर्थियों तथा चयन समिति द्वारा पदोन्नति हेतु उपयुक्त पाये गये अभ्यर्थियों की एक सम्मिलित सूची तैयार करेगें। इस सम्मिलित सूची में पहला नाम विभागीय कर्मचारी जिसकी पदोन्नति द्वारा नियुक्ति होती है, का होगा। उसके बाद सीधी भर्ती वाले अभ्यर्थियों के नाम उसी अनुपात में होगें जो अनुपात पदोन्नति द्वारा भर्ती तथा सीधी भर्ती का है। इस सूची के अनुसार ही समय–समय पर होने वाली रिक्तियों के विरूद्ध तैनाती की जायेगी।

भाग – आठ : परिवीक्षा, स्थाईकरण, ज्येष्ठता आदि

19 – स्थानान्तरण अधिकार –

1– अपने मण्डल में किसी खण्ड से अन्य खण्ड में मानचित्रक के स्थानान्तरण हेतु सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता तथा मण्डल के बाहर क्षेत्र में स्थानान्तरण हेतु मुख्य अभियन्ता (क्षेत्र) अधिकृत होगे। निगम के दूसरे क्षेत्र में स्थानान्तरण हेतु सम्बन्धित निगम के मुख्य अभियन्ता (मा0सं0) एवं पारेषण में मुख्य अभियन्ता (पारे0) अधिकृत होगें।

2– क्षेत्र में संगणक के एक मण्डल से दूसरे मण्डल में स्थानान्तरण हेतु मुख्य अभियन्ता (क्षेत्र) तथा निगम के एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में संगणक के स्थानान्तरण हेतु मुख्य अभियन्ता (मा0सं0) एवं पारेषण में मुख्य अभियन्ता (पारे0) अधिकृत होगें।

20 – ज्येष्ठता :

(1) तकनीकी सहायक (संगणक) पद पर प्रोन्नत सदस्यों/चयनित सदस्यों की वरिष्ठता सम्प्रति विनियमावली के प्रस्तर–18 के अनुसार मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत) स्तर पर बनाई जायेगी।

(2) सेवा में मानचित्रक पद पर चयनित सदस्यों एवं सम्बन्धित वितरण कम्पनियों में संविलीन कार्मिकों की ज्येष्ठता सूची विद्युत वितरण/ट्रांसमिशन कम्पनियो स्तर पर बनाई जाएगी।

(3) तकनीकी सहायक जिनकी वरिष्ठता सूची उपरोक्त बिन्दु (1) के अनुसार मुख्य अभियन्ता (जल–विद्युत) स्तर पर बनाई जायेगी, की ज्येष्ठता उनके मौलिक पद पर नियुक्ति की तिथि के कम में निर्धारित की जायेगी। यदि दो या अधिक सदस्यों की नियुक्ति की तिथि एक है तो उनकी वरिष्ठता जन्म तिथि के आरोहण कम में व्यवस्थित की जायेगी, जो आयु में अधिक होगा वह वरिष्ठ होगा। यदि जन्म तिथि भी एक है तो उनकी पारस्परिक ज्येष्ठता उनके नाम के प्रथम अग्रेंजी अक्षर के अनुसार अग्रेंजी वर्णमाला के कम के आधार पर निर्धारित की जायेगी, यदि नाम का अग्रेंजी वर्णमाला का प्रथम अक्षर समान हो तो वरिष्ठता हेतु नाम का दूसरा/तीसरा अक्षर संज्ञान में लिया जायेगा।

(4) मानचित्रक पद पर सम्बन्धित निगम के स्तर पर घोषित ज्येष्ठता सूची उनके चयन से सम्बन्धित मेरिट के अनुसार घोषित होगी।

(5) सामान्य एवं आरक्षित कोटे के अन्तर्गत नियुक्त सेवा के सदस्यों की यदि नियुक्ति तिथि एक है, तो उनकी पारस्परिक ज्येष्ठता नियुक्ति के लिए लागू रोस्टर के अनुसार की जायेगी।

21 – परिवीक्षा एवं स्थाईकरण :

(1) सेवा के किसी पद पर सीधी भर्ती अथवा पदोन्नति द्वारा नियुक्ति किये जाने पर प्रत्येक व्यक्ति को दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रखा जाएगा। नियुक्ति अधिकारी पर्याप्त आधार पर परिवीक्षा अवधि एक साथ या अलग–अलग अवसरों पर परिवीक्षा अवधि छः माह तक बढ़ा सकेंगे। ऐसे परिवीक्षकाल, जिसमें बढ़ाया हुआ काल भी सम्मिलित है, के सफलता पूर्वक पूर्ण करने पर कर्मचारी को स्थाई पद उपलब्ध होने पर और कारपोरेशन द्वारा समय–समय पर निर्धारित अन्य शर्तों को पूरा करने पर नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा एक लिखित आदेश निर्गत कर स्थाई किया जाएगा। जब तक स्थाईकरण के आदेश निर्गत नहीं हो जाते परिवीक्षा अवधि समाप्त हो जाने के उपरान्त भी उसे परिवीक्षा पर माना जाएगा।

(2) यदि परिवीक्षा अवधि या बढ़ाई गयी परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी भी समय या परिवीक्षा अवधि के अन्त में नियुक्ति प्राधिकारी को यह प्रतीत होता है कि परिवीक्षाधीन कर्मचारी ने प्राप्त अवसरों का उचित एवं संतोषजनक उपयोग नहीं किया है अथवा उसके उच्चाधिकारी उसके कार्य से सन्तुष्ट नहीं रहें हैं तो सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त अभ्यर्थी की सेवाएँ लिखित स्पष्ट आदेश द्वारा समाप्त की जा सकती हैं और प्रोन्नति द्वारा नियुक्त अभ्यर्थी को उसके मूल पद पर पदावनत किया जा सकेगा। इस हेतु सम्बन्धित अभ्यर्थी को कोई नोटिस, प्रतिकर अथवा वेतन देय नहीं होगा।

22 – परिवीक्षा अवधि में वेतन एवं वेतन वृद्धि :

(1) सीधी भर्ती द्वारा चयनित परिवीक्षा पर नियुक्त अभ्यर्थी को उसके पद हेतु अनुमन्य वेतनमान के न्यूनतम स्तर पर मूल वेतन एवं उस पर अनुमन्य अन्य भत्ते अनुमन्य होंगे। पदोन्नति द्वारा चयनित परिवीक्षा पर नियुक्त अभ्यर्थी के वेतन का निर्धारण प्रभावी वित्तीय नियमानुसार किया जाएगा और इस प्रकार निर्धारित मूल वेतन पर अन्य भत्ते अनुमन्य होगें।

(2) नियुक्त अभ्यर्थी को वार्षिक वेतनवृद्धि भी नियमानुसार अनुमन्य होगी।

भाग –नौ : अनुशासन, दण्ड एवं अन्य प्राविधान

23 – कार्यभार ग्रहण करते समय प्रमाण–पत्रों एवं घोषणा–पत्रों का प्रस्तुतिकरण

सीधी भर्ती द्वारा चयनित अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व उस अधिकारी के सम्मुख, जहॉ वह पहली बार कार्यभार ग्रहण करता है, निम्नलिखित प्रमाण–पत्र/घोषणा–पत्र प्रस्तुत करने होंगे :–

(1) चरित्र एवं आचरण सम्बन्धी दो राजपत्रित अधिकारियो– जो अभ्यार्थी से सम्बन्धित न हो, के चरित्र प्रमाण–पत्र।
(2) अन्तिम शिक्षण–संस्था के प्रधान द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण–पत्र।
(3) दो उत्तरदायी व्यक्तियों जैसे ग्राम प्रधान, संसद/विधान मण्डल सदस्य अथवा राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रदत्त सचरित्रता का प्रमाण–पत्र।
(4) मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वस्थ्यता प्रमाण–पत्र।
(5) वैवाहिक स्थिति सम्बन्धी घोषणा।
(6) कारपोरेशन के अधीन सेवारत किसी व्यक्ति से उसका सम्बन्ध।
(7) इस आशय की घेषणा कि वह ऋण मुक्त है।
(8) समस्त चल एवं अचल सम्पत्ति का ब्योरा जो अभ्यर्थी या उसके परिवार के आश्रित सदस्यों के पास है अथवा अधिग्रहीत की गयी है का पूर्ण एवं सही विवरण **परिशिष्ट–पॉच** में उल्लेखित एवं निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत किया जाएगा।
(9) परिवार के सदस्यों एवं आश्रितों की सूची।
(10) **परिशिष्ट–छः** में निर्धारित प्रपत्र पर कारपोरेशन की निष्पक्ष एवं विश्वसनीयता के साथ सेवा करने सम्बन्धी घोषणा ।
(11) यह कि किसी न्यायालय द्वारा किसी आपराधिक मामले में दण्डित नहीं किया गया है।

24 –सामान्य :

सेवा का प्रत्येक सदस्य :–

(1) प्रत्येक स्तर पर सत्य निष्ठा तथा कर्तव्य परायणता बनाये रखेगा।
(2) निष्पक्ष भाव से अपने वरिष्ठ जनों के आदेशानुसार कार्य करेगा।
(3) किसी भी समय कार्यस्थल अथवा अन्य स्थलों पर कारपोरेशन के हित अथवा उसकी प्रतिष्ठा के विरूद्ध कार्य नहीं करेगा तथा
(4) अपने सहायोगियों एवं वरिष्ठों से विनम्र एवं शालीन व्यवहार करेगा।

उपरोक्त सिद्धान्तों के विपरीत आचरण एवं व्यवहार दुराचार माना जाएगा।

25– नशीले पदार्थों का सेवन :

सेवा का प्रत्येक सदस्य अपने कार्यस्थल पर नशीले पदार्थों का सेवन करके नहीं आएगा और न ही ड्यूटी के समय इनका सेवन करेगा।

26– राजनीति एवं चुनावों में भाग लेना :

(1) विधि द्वारा विशिष्ट रूप से प्राधिकृत स्थिति को छोड़ कर कोई भी कर्मचारी किसी राजनीतिक दल अथवा ऐसे संगठन का सदस्य नहीं बनेगा तथा उससे सम्बन्ध नहीं रखेगा जो राजनीति अथवा राजनीतिक आन्दोलन में भाग लेता हो तथा ऐसे संगठनों को न तो वह कोई चन्दा देगा और न ही किसी अन्य प्रकार से सहायता करेगा। कोई भी कर्मचारी ऐसी किसी गतिविधि में भी भाग नहीं लेगा जो परोक्ष या अपरोक्ष रूप से सरकार/कारपोरेशन/विद्युत वितरण निगम लि0 के विरूद्ध हो।

(2) सेवा का कोई भी सदस्य किसी भी वैधानिक अथवा स्थानीय प्राधिकरण/पंचायत आदि के चुनाव में न तो प्रचार करेगा, न अपने प्रभाव का प्रयोग करेगा और न ही भाग लेगा।

27 – प्रदर्शनों/हड़तालों में भाग लेना एवं संघों का सदस्य बनना :

(1) सेवा का कोई भी सदस्य किसी ऐसे प्रदर्शन/रेली में अपने को नहीं लगाएगा अथवा भाग लेगा जो भारत की एकता, सार्वभौमिकता, सुरक्षा, विदेशों से नैतिक सम्बन्ध, सार्वजनिक शान्ति व नैतिकता के विरूद्ध हो या न्यायालय की अवमानना या अपराध करने को उकसाने से सम्बन्धित हो।

(2) चाहे जो भी कारण हो, सेवा का कोई भी सदस्य न तो किसी गैर कानूनी हड़ताल में भाग लेगा और न ही उसे बढ़ावा देगा।

28 – प्रेस, रेडियो या दूरदर्शन से सम्बन्ध :

कोई भी सदस्य प्रेस, रेडियो या दूरदर्शन पर ऐसा कोई वक्तव्य नहीं देगा, जो कि कारपोरेशन अथवा सरकार के विरूद्ध हो और न ही कारपोरेशन अथवा सरकार की आलोचना करेगा।

29 – दहेज देना अथवा लेना :

सेवा का कोई सदस्य न तो दहेज देगा न लेगा और न ही देने अथवा लेने की दुष्प्रेरणा देगा। "दहेज" का आशय दहेज निषेध अधिनियम , 1961 (1961 का 28) में वर्णित "दहेज" के यथासंशोधित अर्थ से है।

30 – अनाधिकृत रूप से जानकारी देना :

कारपोरेशन के किसी सामान्य अथवा विशेष आदेश के अनुसरण अथवा सौंपे गये कर्तव्यों के सदाशयपूर्ण पालन की स्थितियों को छोड़कर कोई भी कर्मचारी, प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से किसी प्रलेख अथवा उसके किसी भाग की अथवा कोई अन्य जानकारी किसी ऐसे कारपोरेश्न कर्मचारी या अन्य व्यक्ति को नहीं देगा, जिसे ऐसे प्रलेख अथवा जानकारी देने का प्राधिकार उसे प्राप्त नहीं है।

31 – चन्दा :

सेवा का कोई भी सदस्य अपने नियुक्ति प्राधिकारी के अनुमोदन के बिना न तो किसी प्रकार का चन्दा/दान मांगेगा, न स्वीकार करेगा और न ही कोष को बढ़ाने के लिये किसी भी उद्‌देश्य से सहायक सिद्ध होगा।

32 – उपहार :

सेवा का कोई भी सदस्य अपने नियुक्ति प्राधिकारी के अनुमोदन के बिना

(अ) प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से अपने या किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से,

(ब) अपने आश्रित परिवार के किसी सदस्य को घनिष्ठ रिश्तेदारों के अतिरिक्त अन्य किसी व्यक्ति से कोई भेंट, दान अथवा पुरस्कार लेने की आज्ञा नहीं देगा।

टिप्पणी :

(अ) यदाकदा का भोजन, सवारी में बैठना अथवा कोई अन्य सामाजिक आतिथ्य उपहार नहीं माना जायेगा।

(ब) कोई भी कर्मचारी अपने साथ दफ्तरी सम्बन्ध रखने वाले किसी व्यक्ति अथवा फर्म से कीमती अथवा बार–बार आतिथ्य स्वीकार नहीं करेगा।

33 – प्रशस्ति पत्र :

सेवा का कोई सदस्य, नियुक्ति प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति के बिना किसी भी प्रकार का आदर या सम्मान सूचक पत्र अथवा प्रमाण–पत्र स्वीकार नहीं करेगा और न ही अपने या कारपोरेशन के किसी अन्य कर्मचारी के सम्मान में आयोजित सभा अथवा सार्वजनिक आतिथ्य–सत्कार में भाग लेगा।

परन्तुक यह नियक ऐसे विदाई समारोह पर लागू नहीं होगा जाकि कर्मचारी अथवा कारपोरेशन के किसी अन्य कर्मचारी की सेवा निवृत्ति अथवा स्थानान्तरण अथवा कारपोरेशन के कर्मचारी द्वारा हाल ही में सेवा छोडने के अवसर पर मुख्यतयः निजी अथवा अनौपचारिक प्रकृति का हो, अथवा जन निकायों अथवा संस्थाओं द्वारा आयोजित सादा और मामूली व्यय वाला समारोह हो।

34 – निजी व्यापार अथवा रोजगार :

(1) सेवा कोई सदस्य नियुक्ति प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति के बिना प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से किसी व्यापार अथवा धंधे में नहीं लगेगा और न ही कोई और नौकरी करेगा अथवा और नौकरी करने के लिए बातचीत चलायेगा।

परन्तुक, यह है कि सेवा का कोई सदस्य ऐसी स्वीकृति के बिना सामाजिक अथवा धार्मिक प्रकृति का अवैतनिक कार्य कर सकता है अथवा साहित्यिक अथवा कलात्मक अथवा वैज्ञानिक प्रकृति का कोई काम यदा कदा कर सकता है बशर्ते कि इससे उसके कार्यालय के कर्तव्यों के पालन में अवरोध न आता हो, परन्तु नियुक्ति प्राधिकारी यदि आदेश दे तो यह कार्य उसे बन्द कर देना होगा।

(2) यदि सेवा के सदस्य के परिवार का कोई सदस्य किसी व्यापार अथवा धन्धे में लगा हो अथवा किसी बीमा एजेन्सी अथवा कमीशन एजेन्सी का मालिक हो अथवा चलाता हो तो वह इसकी सूचना नियुक्ति प्राधिकारी को देगा,

(3) सेवा कोई भी सदस्य अपनी पत्नी या अन्य सम्बन्धी जो या तो पूर्ण रूप से उस पर निर्भर है या उसके साथ रह रहा है तो उस जनपद में जिसमें वह तैनात है बीमा कम्पनी का एजेन्ट बनने की अनुमति नहीं देगा,

(4) सेवा का कोई सदस्य नियुक्ति प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति के बिना अपने कर्तव्यों के पालन की स्थिति को छोड़कर किसी ऐसे बैंक अथवा कम्पनी जिसे कि कम्पनी अधिनियम 1956, (1956 का 1) अथवा तत्समय लागू किसी अन्य विधि के अधीन पंजीकृत करना आवश्यक हो वाणिज्यिक उद्देश्यों से गठित किसी सहकारी समिति के पंजीकरण, प्रवर्तन अथवा प्रबन्ध में भाग नहीं लेगा,

परनतुक, यह है कि सेवा का सदस्य किसी उपभोक्ता/गृह निर्माण सहकारी सोसाइटी के पंजीकरण, प्रवर्तन अथवा प्रबन्ध में भाग ले सकता है जोकि उत्तर प्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1965 अथवा तत्समय लागू किसी अन्य विधि के अधीन पंजीकृत हो तथा मुख्यतः कारपोरेशन के कर्मचारियों के हित लाभार्थ बनाई गई हो अथवा सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 अथवा ऐसी ही किसी विधि के अन्तर्गत पंजीकृत साहित्यिक, वैज्ञानिक अथवा धर्मार्थ हो। प्रतिबन्ध यह है कि वह कोष एकत्र करने, शेयर बेचने अथवा सोसाइटी के अन्य वित्तीय कार्य कलापों में न तो भाग लेगा ओर न ही अपने को सम्बन्धित रखेगा।

35 – संरक्षण :

सेवा का कोई सदस्य बिना नियुक्ति प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के अपने आश्रितों के अतिरिक्त किसी व्यक्ति अथवा किसी नाबालिग की सम्पदा का वैधानिक संरक्षक नहीं हो सकता।

स्पष्टीकरण :

इस नियम के निमित्त आश्रित से तात्पर्य कारपोरेशन कर्मचारी की पत्नी या पति जैसा भी हो, बच्चे, सौतेले बच्चे, बच्चों के बच्चे तथा उसके माता–पिता, बहने, भाई के बच्चे, बहन के बच्चे यदि उसके साथ रह रहें हो तथा पूर्णतया आश्रित हों, से है।

36 – निवेश, कर्ज लेना व देना :

(1) किसी बैंक, जीवन बीमा निगम अथवा किसी साख प्राप्त फर्म के साथ सामान्य लेन–देन को छोड़कर, सेवा का कोई भी सदस्य किसी ऐसे व्यक्ति से न तो रूपया उधार लेगा और न उसे देगा अथवा किसी अन्य प्रकार से आर्थिक बन्धन में आयेगा जिसका कि उसके दफ्तरी वास्ता पड़ता है अथवा पड़ने की सम्भावना है ।

(2) सेवा कोई भी सदस्य न तो किसी सट्टे आदि में धन लगायेगा और न ही अपनी पत्नी अथवा किसी अन्य आश्रित को इसकी आज्ञा देगा जिससे कि उसके कर्तव्य प्रभावित होते हों।

37 – दीवाला तथा स्वभावतः ऋण ग्रस्तता :

(1) सेवा का कोई सदस्य स्वभावतः ऋण–ग्रस्तता से बचेगा।

(2) सेवा का कोई सदस्य जो दीवालिया होने का आवेदन करतो है अथवा दीवालिया विनिणीत अथवा घोषित किया जाता है, उसकी सूचना वह तुरन्त नियुक्ति प्राधिकारी को देगा।

38 – चल, अचल अथवा मूल्यवान सम्पत्ति :

सेवा का कोई भी सदस्य अपने नियुक्ति प्राधिकारी के पूर्व संज्ञान में लाये बिना किसी अचल सम्पत्ति का पट्टे या बन्धक रूप में, कय, विकय अथवा उपहार किसी भी रूप में अपने नाम से अथवा परिवार के किसी सदस्य के नाम से लेन–देन नहीं करेगा।

39 – कारपोरेशन के बाहर से जोर–डलवाना अथवा अन्य प्रभाव

सेवा का कोई भी सदस्य कारपोरेशन में अपने सेवा सम्बन्धी मामलों के सम्बन्ध में अपने हितों को बढ़ाने के लिये कोई बाहरी प्रभाव, अपने द्वारा या परिवार के किसी सदस्य द्वारा नहीं डलवायेगा और न ही उसका प्रयास करेगा।

स्पष्टीकरण :

कोई भी ऐसा कार्य जब तक अन्यथा सिद्ध न कर दिया जाये, जो कारपोरेशन सेवक की पत्नी या पति या परिवार के किसी अन्य सदस्य द्वारा किया जायेगा, कारपोरेशन के कर्मचारी द्वारा प्रेरित अथवा मिलकर किया हुआ माना जायेगा।

40 – अनाधिकृत आर्थिक समझौता :

सेवा का कोई भी सदस्य किसी अन्य कारपोरेशन कर्मचारी अथवा किसी अन्य व्यक्ति से ऐसा कोई आर्थिक समझौता नहीं करेगा जिससे एक को या दोनों व्यक्तियों को अनाधिकृत रूप से या लागू नियमों के विरूद्ध किसी प्रकार का अनाधिकृत लाभ पहुंचता हो।

41 – कारपोरेशन द्वारा उपलब्ध सेवा का उपयोग :

सेवा का कोई भी सदस्य कारपोरेशन द्वारा सरकारी कर्तव्यों के सही निर्वहन हेतु उपलब्ध कराई गई सुविधाओं का दुरूपयोग या लापरवाही से उनका प्रयोग नहीं करेगा। आवंटित किये गये विभागीय आवास को किराये पर देना अथवा किसी अन्य व्यक्ति को उपयोग हेतु दिया जाना इस दुरूपयोग की श्रेणी आयेगा।

42 – बिना भुगतान के सेवा लाभ उठाना :

सेवा का कोई भी सदस्य बिना उचित और पूरा भुगतान किये किसी ऐसी सेवा अथवा मनोरंजन का लाभ नहीं उठायेगा जिसके लिए कोई मूल्य, किराया या प्रवेश शुल्क लिया जाता हो।

43 – अपचार :

"अपचार" शब्द के सामान्य अर्थों के प्रति बिना किसी पूर्वाग्रह के निम्नलिखित कृत्य अपचार माने जायेगें :–

1. कारपोरेशन/विद्युत वितरण निगम लि0 के किसी कार्यालय अथवा प्रतिष्ठान के परिसर के अन्दर जिसमें जाने और निकलने के बिन्दु भी सम्मिलित हैं, में बैठकें या सभा करना, धरना देना, प्रदर्शन करना, नारे बाजी करना अथवा जुआ खेलना।
2. ड्यूटी पर सोना।
3. किसी कारपोरेशन/विद्युत वितरण निगम लि0 कर्मचारी जिसमें पर्यवेक्षक भी सम्मिलित हैं, का घेराव करना, उसे चोट पहुंचाना, उससे दुर्व्यवहार करना अथवा इसके लिए किसी को प्रोत्साहित करना।
4. छुट्टी अथवा अन्य किसी सुविधा को प्राप्त करने के लिये गलत प्रतिवेदन देना, समय पर कार्यालय न आना तथा समय से पूर्व कार्यालय छोड़ना।,
5. नियमित स्वीकृति के बिना अनुपस्थित रहना।
6. नियमों का जानबूझकर उल्लंघन करना।
7. आवंटित कार्य को करने में लापरवाही।
8. आय से अधिक सम्पत्ति होना अथवा इस सम्बन्ध में कोई संतोषजनक स्पष्टीकरण न देना।
9. नियुक्ति के समय गलत जानकारी देना।
10. कारपोरेशन/विद्युत वितरण निगम लि0 के हितों अथवा उनकी छवि के प्रतिकूल कोई भी कार्य अथवा आचरण करना।
11. उच्चाधिकारियों के आदेशों की अवहेलना।
12. उपयुक्त प्राधिकारी के अतिरिक्त किसी अन्य को अपील अथवा अभ्यावेदन देना तथा गुमनाम पत्र आदि लिखना।
13. लिखित अथवा मौखिक रूप से अफवायें फैलाना।
14. स्वच्छता तथा अनुशासन का पालन न करना।
15. चोरी, धोखा, बेईमानी अथवा कोई ऐसा कार्य करना जिससे कारपोरेशन/विद्युत वितरण निगम को किसी भी प्रकार से क्षति पहुंचे।
16. निषिद्ध स्थान पर धूम्रपान करना।
17. अपने मुख्यालय/कार्यस्थल पर न रहना अथवा बिना अनुमति के मुख्यालय/कार्यस्थल छोड़ना।

टिप्पणी :

उपर्युक्त उदाहरण केवल निर्देश स्वरूप हैं, व्यापक नहीं।

44 – अनुशासनिक कार्यवाही :

सेवा के सभी सदस्य अनुशासनिक कार्यवाही के मामले में कारपोरेशन/विद्युत वितरण निगम लि0 के कर्मचारियों के लिए समय–समय पर निर्धारित सामान्य विनियम/आदेशों से आवरित होगें।

45– प्रवेश, निकास तथा तलाशी :

प्रवेश, निकास तथा तलाशी के सम्पूर्ण मामले **U.P. State Electricity Board Establishment (Entry, Exit and Search) Regulation** 1977 (यथासंशोधित) के अनुसार नियन्त्रित होगें।

46 – अन्य सेवा शर्ते :

सेवा की अन्य शर्ते जो यहां अंकित नहीं हैं वे वित्त हस्त पुस्तिका खण्ड–एक भाग–II से IV के प्राविधानों के अनुसार नियन्त्रित होगीं।

47– सेवानिवृत्ति :

सेवा के सदस्यों की सेवानिवृत्ति यथासमय प्रभावी संगत विनियमों के अन्तर्गत होगी।

48– व्यावृत्ति

यदि इस विनियमों की सही व्याख्या से सम्बन्धित कोई संदेह उत्पन्न होता है तो मामला कारपोरेशन के अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक को सन्दर्भित किया जायेगा जिनका निर्णय अन्तिम माना जायेगा।

49 – पक्ष समर्थन :

भर्ती अथवा प्रोन्नति हेतु मौखिक या लिखित रूप में किसी प्रकार की भी सिफारिश विचाराधीन नही होगी। किसी अभ्यार्थी अथवा सेवा के सदस्य द्वारा परोक्ष अथवा अपरोक्ष में ऐसा कोई भी प्रयत्न उसे अयोग्य अथवा अनुशासनिक कार्यवाही का पात्र बना देगा।

50 – सेवा शर्तो में शिथिलता :

(1) इन विनियमो में किसी भी बात का अर्थ नियुक्ति अधिकारी द्वारा नियुक्त तथा इन विनियमो से नियंत्रित किसी व्यक्ति के मामले में उचित एवं न्यायसंगत व्यवहार, करने की नियुक्ति अधिकारी की शक्ति को सीमित या न्यून करना नही है।

(2) जहां कारपोरेशन की राय में ऐसा करना आवश्यक प्रतीत हो, वह इन विनियमो से या किसी या कुछ विनियमो से आंशिक छूट देकर सवा में कोई नियुक्ति कर सकते है तथा किसी ऐसी नियुक्ति के विषय में जो पूर्णरूप से इन विनियमो के अनुसार नही हुई है। यह समझा जायेगा कि नियुक्ति इन विनियमो के अर्न्तगत हुई है।

51 – परिवर्तन/संशोधन :

(i) कारपोरेशन/विद्युत वितरण निगम लि0 की भावी आवश्यकताओं के अनुसार इस विनियमावली के किसी प्राविधान में शिथिलता/संशोधन का अधिकार अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक/निदेशक मण्डल में निहित होगा।

(ii) जब भी कारपोरेशन इष्टकर समझे वह इन विनियमों के अधीन किसी भी अधिकारी या प्राधिकारी को अपने अधिकारों का प्रत्यायोजन कर सकता है या इन विनियमों के अधीन किसी भी अधिकारी या प्राधिकारी को प्रदत्त अधिकारों का प्रत्यायोजन किसी अन्य अधिकारी या प्राधिकारी को कर सकता है।

निदेशक मण्डल की आज्ञा से
अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

सं0 142(i) **विनियम एवं औस /पाकालि/11 तद्दिनांक।** 4/11/11

प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. मा0 ऊर्जा मंत्री जी, उ0प्र0 सरकार, लखनऊ के निजी सचिव।
2. प्रमुख सचिव (ऊर्जा), उ0प्र0 शासन, बापू भवन, लखनऊ।
3. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पाकालि, शक्ति भवन, लखनऊ के सलाहकार।
4. संयुक्त प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पाकालि, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
5. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य उत्पादन निगम लि0/उ0प्र0 ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0/ उ0प्र0 जल विद्युत निगम लिमिटेड।
6. समस्त निदेशक गण, उ0प्र0 पाकालि, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
7. प्रबन्ध निदेशक, पूर्वांचल/मध्याचल/पश्चिमांचल/दक्षिणाचल विद्युत वितरण निगम लि0, वाराणसी/लखनऊ/मेरठ/आगरा/केस्को, कानपुर।
8. अध्यक्ष, विद्युत सेवा आयोग, उ0प्र0 पाकालि/उ0प्र0 राज्य उत्पादन निगम लि0, लखनऊ।
9. मुख्य अभियन्ता (ज0वि0), उ0प्र0 पाकालि, लखनऊ।
10. अपर सचिव–प्रथम/द्वितीय/तृतीय/परा0/सलाहकार (औस)/(काविनी), उ0प्र0 पाकालि, लखनऊ।
11. समस्त मुख्य अभियन्ता, उ0प्र0 पाकालि/ उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0/केस्को।
12. कम्पनी सचिव, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ को उनके पत्रांक 777/पाकालि/बैठक (87)/2011 दिनांक 2.11.2011 के सन्दर्भ में।
13. अधिशासी अभियन्ता (वेबसाइट) को कार्यों को वेबसाइट पर लोडिंग हेतु।

(जावेद अहमद) 4/11/11
अनुसचिव (विनियम)

(15) अनुसूची - 1

उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उ0 प्र0 सरकार का उपक्रम)
शक्ति भवन, 14-अशोक मार्ग, लखनऊ-226001

सख्या : 140विनियम –23/पाकालि–2004–7 रेग्यु0/88 दिनांक : 05नवम्बर, 2004

कार्यालय ज्ञाप

उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड के कार्यालय ज्ञाप संख्या 840 – औ0स0 –17/पाकालि– 2002 – 147 ए0एस0 /97, दिनांक मार्च 6, 2002 व पठित संख्या 4988 – औ0स0 –17/पाकालि– 2003, दिनांक 9.10.2003 द्वारा मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत) की अध्यक्षता में कला संवर्ग के कार्मिकों की सेवा सम्बन्धी बिन्दुओं पर विद्युत प्राविधिक कला कर्मचारी संघ , उत्तर प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद डिप्लोमा कर्मचारी संघ से प्राप्त प्रतिवेदनों पर विचार कर अपनी संस्तुतियां प्रस्तुत किए जाने हेतु एक समिति का गठन किया गया । इस समिति ने इन संघो द्वारा उठायें गये बिन्दुओं पर सम्यक विचारोपरान्त अपनी संस्तुतियां कारपोरेशन को उपलब्ध कराई।

2 उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड के निर्देशक मण्डल ने दिनांक 22.9.2004 को हुई अपनी बैठक में मद संख्या पचास (23)/2004 में उक्त समिति द्वारा प्रस्तुत संस्तुतियों पर विचार कर यह निर्णय लिया है कि संगणकों जिन्होने एक वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो हाईस्कूल के साथ आई0टी0 आई0 अथवा समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण मानचित्रकों , जिन्होने मानचित्रक के पद पर 5 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो तथा ट्रेसर जिन्होने 7 वर्ष की सेवा ट्रेसर के पद पर पूर्ण कर ली हो , को अवर अभियन्ता की परीक्षा में बैठने हेतु पात्र (अर्ह) माने जाने हेतु विनियमावली को तद्नुसार संशोधित कर दिया जाए तथा पूर्ववर्ती परिषदीय कार्यालय ज्ञाप संख्या 311– पी /राविप– तीस –4 पी/1996, दिनांक 2.3.88 में जिन कर्मचारियों को कला (ड्राइंग) संवर्ग के कर्मचारियों के रूप में अलग से वर्गीकृत किया गया है, को उ0 प्र0 राज्य विद्युत परिषद (मुख्य अभियन्ता के कार्यालय एवं अन्य अधीनस्थ कार्यालय) सेवा विनियमावली 1970 (यथा संशोधित) से हटाते हुए उनके लिये कला संवर्ग विनियमावली अलग से बनाई जाए। यह भी निर्णय लिया गया है कि ट्रेसर के सीधी भर्ती से भरे जाने वाले सभी पदों को मृत संवर्ग– घोषित कर अब इन पदों पर नई नियुक्तियां न की जाएं। A

निदेशक मण्डल की आज्ञा से

एस0 सी0 गोविल
निदेशक (का0 प्र0 एवं प्रशा0)

सख्या : 140 विनियम –23/पाकालि–2004–7 रेग्यु0/88 तद्दिनांक
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1 समस्त प्रबन्ध निदेशक,लखनऊ ,वाराणसी, मेरठ , आगरा , कानपुर ।
2 मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत), उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड, 4– विक्रमादित्य मार्ग, लखनऊ ।
3 समस्त मुख्य महाप्रबन्धक / महाप्रबन्धक , उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड।
4 महाप्रबन्धक (कार्मिक प्रबन्धन–1 /2/3),(औ0स0) ,उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ ।
5 समस्त अधिकारी/अनुभाग, उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्तिभवन,लखनऊ।
6 बैठक सहायक , उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ ।

आज्ञा से ,

(अशोक अग्निहोत्री)
महाप्रबन्धक(औस)

(13) उत्तर प्रदेश शासन परिशिष्ट - एक

ऊर्जा अनुभाग-2

संख्या-2662/24-पी-2-2008-61एम0ई0/2000-टी0सी0

दिनांक: 11 दिसम्बर, 2008

कार्यालय ज्ञाप

विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 131 की उपधारा (4) सपठित उत्तर प्रदे ऊर्जा क्षेत्र सुधार (वितरण उपक्रमों का अन्तरण) स्कीम-2003 की धारा 8(1) उत्तर प्रदेश ऊर्जा क्षेत्र सुधार (वितरण उपक्रमों का अन्तरण) (षष्टम संशोध स्कीम-2008 की धारा 8(1) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करके राज्य सरक द्वारा कार्मिकों के स्थानान्तरण एवं आमेलन के सम्बन्ध में उ0प्र0 पावर कारपोरेश लि0, द्वारा लिये गये निर्णय जो निदेशक मण्डल की 75वीं बैठक दिनांक 17.10.20 में प्रस्तुत किया गया, कार्मिकों के उ0प्र0 पावर कारपेरेशन लि0, मध्यांचल विद्य वितरण निगम लि0 लखनऊ, पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि0 वाराणस पश्चिमाचल विद्युत वितरण निगम लि0 मेरठ एवं दक्षिणांचल विद्युत वितरण निग लि0, आगरा में स्थायी रूप से स्थानान्तरण एवं आमेलन हेतु उ0प्र0 पावर कारपोरेश लि0, द्वारा गठित कार्मिक आमेलन समिति की संस्तुतियों एवं उ0प्र0 पावर कारपोरेश लि0 के निदेशक मण्डल के निर्णय को दृष्टिगत रखते हुए विचारित करके निर्ण लिया गया जो स्थानान्तरण एवं आमेलन हेतु निम्न शर्तों एवं निबन्धनों के अधी होगा:-

(अ) अभियन्ता संवर्ग/लेखा संवर्ग के अधिकारी/कार्मिक संवर्ग/जन सम्प संवर्ग/विधि संवर्ग/क्रीड़ा सवर्ग/प्रशासनिक अधिकारी संवर्ग/अवर अभियन्त संवर्ग/मुख्यालय संवर्ग के सभी कार्मिक उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, मे आमेलि होंगे।

(ब) लेखा संवर्ग के कार्मिक (अधिकारियों को छोड़कर) का आमेलन संलग्न सूची विर्निदिष्ट कार्मिक मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि0, पूर्वांचल विद्युत वितरण निग लि0 एवं दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि0 में स्थायी रूप से आमेलित हो जायेंगे शेष कार्मिक जिस वितरण निगम/उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 जहाँ कार्यरत हैं वह आमेलित माने जायेंगे। पूर्व में उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, के विभिन्न आदेशों के स्थानान्तरित कार्मिक नये तैनाती के वितरण निगम/ उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 मे आमेलित माने जायेंगे।

(स) परिचालकीय संवर्ग, लिपिकीय संवर्ग एवं कला संवर्ग के कार्मिकों जो, जहाँ कार्यरत हैं, वही आमेलित माना जायेगा। पूर्व में उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, के विभिन्न आदेशों के स्थानान्तरित कार्मिक नये तैनाती के वितरण निगम/ उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, मे आमेलित माने जायेंगे।

(द) संलग्न सूची के अतिरिक्त जो कार्मिक उत्पादन निगम, जल विद्युत निगम एव केस्को, कानपुर में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत हैं वे भी उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 की सेवाओं मे स्थायी रूप से आमेलित होंगे। परन्तु वे उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, उ0प्र0 जल विद्युत निगम लि0, जैसी भी स्थिति हो सम्बन्धित निगम के अग्रिम आदेशों के अर्न्तगत कार्य करते रहेंगें। उपरोक्त (अ) के अनुसार उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, में आमेलित कार्मिक जो वर्तमान में अन्य निगमों में तैनात है, वहाँ प्रतिनियुक्ति पर कार्य करते रहेंगें।

(य) जिन कार्मिको का उल्लेख यदि उपरोक्त प्रस्तरों में नही है वे अपने वर्तम तैनाती के वितरण निगम / उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, मे आमेलित माने जायेंगे

संलग्नकः यथोक्त।

प्रदीप शुक्ला
प्रमुख सचिव

संख्या एवं दिनांकः यथोक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को अनुलग्नक सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाह हेतु प्रेषितः--

1-- मा0 ऊर्जा मंत्री जी के निजी सचिव, उ0प्र0 शासन लखनऊ।
2-- अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ
3-- अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भव लखनऊ।
4-- अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल विद्युत निगम लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
5-- अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
6-- प्रबन्ध निदेशक (म0वि0वि0नि0लि0, लखनऊ)/(पू0वि0वि0नि0लि0, वाराणसी)/(द0वि0वि0नि0लि0, आगरा)/(प0वि0वि0नि0लि0, मेरठ)/केस्को, कानपुर।

आज्ञा से,

(आलोक टण्डन)
सचिव।

परिशिष्ट–दो

उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 कला (ड्राइंग) संवर्ग सेवा विनियामवली, 2011
नियम– 4 – अधिष्ठानित सामर्थ्य

उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 एवं सहयोगी कम्पनियो में कला (ड्राइंग) संवर्ग में सृजित पदो का विवरण

कम सं0	**पदनाम**	कारपोरेशन, पारेषण,	पश्चिमांचल	पूर्वांचल	दक्षिणाचंल	मध्यांचल	केस्को	अन्य विवरण
01	अनुरेखक	77	50	37	30	46	08	मृत संवर्ग
02	मानचित्रक	163	76	72	52	72	14	–
03	संगणक (तकनीकी सहायक)	71	27	35	25	45	–	–

नोट : उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 तथा पारेषण की ट्रांसफर स्कीम लागू हो जाने पर यह पद तद्नुसार विभाजित समझे जायेंगे।

परिशिष्ट–तीन

उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 कला (ड्राइंग) संवर्ग सेवा विनियामवली, 2011
नियम– 8 – अर्हता एवं शैक्षिक योग्यताएँ

क्रम सं0	पदनाम	वेतनमान छठे वेतन आयोग के अनुसार	सीधी भर्ती हेतु योग्यता	भर्ती का स्त्रोत
01.	तकनीकी सहायक	रू0 9300–34800 ग्रेड पे रू0 4200	1. अभ्यर्थी को देवनागरी लिपि में हिन्दी पढ़ने/लिखने का ज्ञान अनिवार्य रूप से होना चाहिए। 2. केन्द्रीय अथवा राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान/पॉलीटेक्निक से उन व्यवसायों/ट्रेडों में 3 वर्षीय डिप्लोमा अथवा समकक्ष प्रमाण–पत्र जो कारपोरेशन में अवर अभियन्ता के पद पर भर्ती हेतु निर्धारित हैं।	1. सीधी भर्ती द्वारा.....................40 प्रतिशत 2. मुख्य अभियन्ता, मण्डलीय, खण्डीय कार्यालयों में कार्यरत स्थाई ड्राफ्ट्समैन (मानचित्रक) से पदोन्नति द्वारा। ....60 प्रतिशत प्रतिबन्ध यह है कि उपरोक्त सभी कार्यालयों में कार्यरत मानचित्रकों की संयुक्त वरिष्ठता सूची संबंधित डिस्काम स्तर पर बनाई गयी हो।
2.	मानचित्रक	रू0 5200–20200 ग्रेड पे रू0 2600	1. अभ्यर्थी को देवनागरी लिपि में हिन्दी पढ़ने/लिखने का ज्ञान अनिवार्य रूप से होना चाहिए। 2. माध्यमिक शिक्षा परिषद् उ0प्र0 की हाई–स्कूल अथवा समकक्ष मान्यता प्राप्त अर्हता (विज्ञान/गणित/कला विषय सहित)। 3. केन्द्र अथवा राज्य सरकार द्वारा संचालित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से सम्बन्धित ट्रेड में ड्राफ्टसमैनशिप का सर्टिफिकेट अथवा समकक्ष	1. प्रतियोगितात्मक परीक्षा या साक्षात्कार अथवा दोनों जैसा कि वॉछित हो, के द्वारा सीधी भर्ती से विद्युत सेवा आयोग के माध्यम से ....शतप्रतिशत 2. उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के आदेश सं0 140–विनियम–23/पाकालि /2004–7–रेग्यू/88 दिनांक 05.11.04 (अनुसूची–एक पर उपलब्ध) के अनुसार मृत संवर्ग घोषित ट्रेसर (अनुरेखक) के पद पर वर्तमान में मुख्य अभियन्ता, मण्डलीय, खण्डीय कार्यालयों में परिशिष्ठ–2 की सूची के अनुसार कार्यरत शेष रह गये कार्मिक इस विनियमावली की प्रभावी होने की तिथि से मानचित्रक पद पर मर्षित (मर्ज) मान लिये जायेगें तथा मर्जोपरान्त मानचित्रक पद पर चयनित माने जायेंगे।

			मान्यता प्राप्त ड्राफ्ट्समैन शिप का प्रमाण–पत्र। 4. ट्रेड की ड्राइंग से सम्बन्धित कम्प्यूटर एप्लिकेशन में योग्यता का प्रमाण पत्र।	

3. **फेरोव्वायः–** वर्तमान में विभिन्न वितरण निगमो /कारपोरेशन में सम्मिलीन/कार्यरत फेरोब्वाय इस नियावली की निर्गमन तिथि से एक माह के अन्दर सम्बन्धित वितरण निगम/ पावर कारपोरेशन लि0/ट्रांसको के संबंधित निगमीय स्तर पर अपना विकल्प प्रस्तुत करेगे जिसके अनुसार उनके पद परिर्वतन संबंधित खण्ड/मण्डल स्तर पर श्रमिक /चपरासी तथा मुख्य अभियन्ता स्तर पर चपरासी पद पर उनके द्वारा प्रस्तुत विकल्प पत्र के आधार पर विचारित किया जायेगा। इस प्रकार पद परिवर्तन के पश्चात संबंधित कार्मिक की ज्येष्ठता उसके द्वारा तत्कालीन उ0प्र0राज्य विद्युत परिषद में अभिदान आख्या प्रस्तुत करने की तिथि के अनुसार संबंधित खण्ड/मण्डल/मुख्य अभियन्ता कार्यालय में निर्धारित की जायेगी।

परिशिष्ट–चार

उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 कला (ड्राइंग) संवर्ग सेवा विनियामवली, 2011

नियम–10 – चरित्र एवं पूर्ववृत्ति सम्बन्धी प्रपत्र

(साक्षात्कार के समय भरा जाने वाला सत्यापन पत्र)

चेतावनी :

1. इस प्रपत्र में झूठी सूचना देना अथवा किसी सूचना को छिपाना अभ्यर्थी को सेवायोजना हेतु अयोग्य सिद्ध कर देगा।
2. इस प्रपत्र को भर कर देने के उपरान्त यदि अभ्यर्थी कभी हवालात में रखा गया हो, सजा हुई हो या विवर्जित किया गया हो तो उसका विवरण उसे तुरन्त देना चाहिये और इसका उल्लेख न करने की दशा में, इस वास्तविक सूचना का छिपाना माना जायेगा।

नाम, उपनाम, यदि कोई हो...

पिता का पूरा नाम, उपनाम तथा नौकरी में पद, यदि कोई हो ....

....

3. राष्ट्रीयता ....

पिता ....

माता ....

पति..

पत्नी ....

4. जन्म स्थान

स्वयं ....

पत्नी/पति..

घर का पूरा नाम ....

....

गॉव, थाना और जिला, सड़क/गली, मकान नम्बर...

यदि मूलरूप से पाकिस्तान का निवासी है तो उस देश का पता तथा भारत में आगमन की तिथि वर्णित की जानी चाहिये :–

5. वर्तमान पता ....
6. विछले पॉच वर्षों से पते...
7. आयु और जन्त तिथि (यदि अभ्यर्थी मैट्रिक पास है तो प्रमाण–पत्र के अनुसार उस समय की आयु अंकित की जानी चाहिये)..
8. शैक्षिक योग्यता : जिसके साथ शिक्षा प्राप्त करने के स्थान, 15 साल की आयु से जिन स्कूलों/कालेजों में शिक्षा पाई हो उनका पूर्ण विवरण उत्तीर्ण होने के वर्ष सहित।

स्कूल/कालेज का पूरा नाम व पता	प्रवेश की तिथि	छोड़ने की तिथि	उत्तीर्ण परीक्षा

9. जिन कार्यालयों या फर्मों में अभ्यर्थी ने पहले काम किया हो या कर रहा हो उसके पूर्ण विवरण एवं पते।

पद नाम तथा कार्य का विवरण	अवधि से तक	कार्यालय/फर्म अथवा संस्था का पता	पिछले नौकरी छोड़ने का कारण

10. दो जिम्मेदार व्यक्तियों के नाम जो अभ्यर्थी से परिचित हों (अभ्यर्थी के रिश्तेदार नहीं होना चाहिये)

1.. 2 ....

....

....

....

11(अ). क्या आप कभी गिरफ्तार, मुकदमा चला है, परिबंधित बनाये गये हैं, जुर्माना किया गया है किसी न्यायालय द्वारा किसी अपराध में दण्डित किया गया है या किसी लोक सेवा आयोग के द्वारा किसी परीक्षा या चयन में भाग लेने के लिये रोके गये/अयोग्य घोषित किये गये हैं, अथवा किसी शैक्षिक संस्था द्वारा किसी परीक्षा में भाग लेने से रोके गये हैं ? ....

....

....

(ब). क्या इस प्रपत्र को भरने के समय आपके विरूद्ध किसी न्यायालय विश्वविद्यालय अथवा किसी अन्य शैक्षिक संस्था के द्वारा आप पर कोई मामला लम्बित हैं ? ....

....

यदि उपरोक्त "अ" अथवा "ब" का उत्तर हां में है तो उसे मामले में गिरफ्तार रोके जाने, जुर्माना किये जाने तथा दण्डित किये जाने और न्यायालय/विश्वविद्यालय/शैक्षिक संस्था में लम्बित मामले का पूर्ण विवरण इस प्रपत्र को भरते समय दिया जाना चाहिये। ....

....

....

(सत्यापित प्रपत्र के ऊपर लिखी चेतावनी को देखें)
अभ्यर्थी द्वारा हस्ताक्षर किये जाने हेतु प्रमाण–पत्र

मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि उपरोक्त सूचनायें मेरे ज्ञान और विश्वास से पूर्ण व सही हैं। मेरे ज्ञान में ऐसे कोई परिस्थिति नहीं है जो मुझे परिषद् के अधीन सेवायोजन के लिये अयोग्य ठहरायें।

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

परिशिष्ट –पॉच

उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 कला (ड्राइंग) संवर्ग सेवा विनियामवली, 2011
नियम–19 (8)– कार्यभार ग्रहण करते समय समस्त चल एवं अचल सम्पत्ति सम्बन्धी घोषणा–पत्र

घोषणा का प्रपत्र

(क)

(केवल उनके लिये जिनके स्वामित्व में कोई अचल सम्पत्ति नहीं है)

मैं एतद्द्वारा घोषित करता/करती हूॅ कि मेरे पास कोई अचल सम्पत्ति नहीं हैं। यदि इसके पश्चात् में कोई अचल सम्पत्ति धारण करता/करती हूॅ तो उसकी घोषणा पंचवर्षीय अवधि में करूंगॉ/करूॅगी।

हस्ताक्षर...................................
पदनाम.....................................
दिनांक ....

(ख)

(उनके लिये जो अचल सम्पत्ति के स्वामी है)

मैं एतद्द्वारा घोषित करता/करती हूॅ कि मैं निम्न अचल सम्पत्ति का/की स्वामी हूॅ।

भूमि सम्पदा

स्थान जहॉ गृहीत भूमि हो			एकड़ में	अर्जित या पैतृक। यदि अर्जित की गई हो तो उसका दिनांक	वार्षिक राजस्व	अनुमानित मूल्य	टिप्पणी
जिला	तहसील	ग्राम					
1	2	3	4	5	6	7	8

भवन सम्पदा

स्थान जहाँ भवन हो			भवनों की सं0	अर्जित या पैतृक। यदि अर्जित है तो उसकी तिथि	क्या आवास के लिये इस्तेमाल होता है या किराये पर उठाते हैं।	अनुमानित मूल्य	टिप्पणी
जिला	तहसील	ग्राम					
1	2	3	4	5	6	7	8

यदि मैं भविष्य में कोई अन्य अचल सम्पत्ति अर्जित करता/करती हूँ तो इस तथ्य को उपर्युक्त प्रपत्र में, सम्पत्ति अर्जित करने के दिनांक की जानकारी पाने के दिनांक से एक मास के भीतर घोषित कर दूँगा/कर दूँगी।

हस्ताक्षर.............................
पदनाम...............................
दिनांक...............................

टिप्पणी : अचल सम्पत्ति में ऐसा भवन व भूमि सम्पदा सम्मिलित है जो बंधक व पट्टे के अन्तर्गत अधिगृहीत की गई हो। कोई अचल सम्पत्ति जो कर्मचारी या उसकी पत्नी या उसकी ओर से उसके कुटुम्ब के किसी सदस्य से जो उसके साथ संयुक्त हो या साथ रहता हो या किसी प्रकार उस पर आश्रित हो, द्वारा धारित या प्रतिबन्धित हो तो इस घोषणा के प्रयोजनार्थ कर्मचारी द्वारा ही धारित या प्रतिबन्धित की गई समझी जायेगी।

(ग)

(उनके लिये जिनके पास हिस्से (शेयर्स), चल सम्पत्ति या लगी पूँजी (इनवेस्टमें) नहीं है।)

मैं एतदद्वारा घोषण करता/करती हूँ कि मैं किसी हिस्से (शेयर्स) या अन्य लगी पूँजी (इनवेस्टमेंट) का/की स्वामी नहीं हूँ। यदि एतद् पश्चात मैं कोई हिस्से अर्जित करूँ या अन्य पूँजी लगाऊँ तो मैं इस तथ्य की घोषणा सम्बन्धित अवधि की पंचवर्षीय घोषण मैं कर दूँगा/कर दूँगी।

हस्ताक्षर.............................
पदनाम...............................
दिनांक...............................

(उनके लिये जिनके पास हिस्से (शेयर्स), चल सम्पत्ति या लगी पूँजी (इनवेस्टमेंट) हैं।)

मैं एतद्द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि मैं निम्न हिस्से, चल सम्पत्ति व लगी पूँजी का/की स्वामी हूँ :–

क0सं0	विवरण	अर्जित करने की तिथि	प्रत्येक हिस्से का मूल्य	धारित हिस्सों की संख्या	हिस्सों का मूल्य	टिप्पणी

चल सम्पत्ति/लगी पूँजी

क्र0सं0	विवरण	चल सम्पत्ति कय करने/पूँजी लगाने का दिनांक	मूल्य	टिप्पणी

यदि मैं आगे और हिस्से अर्जित करूँ, चल सम्पत्ति कय करूँ या अन्य कही पूँजी लगाऊँ तो मैं इस तथ्य की घोषणा सम्बन्धित पंचवर्षीय घोषणा मैं कर दूँगा/कर दूँगीं।

हस्ताक्षर.............................
पदनाम...............................
दिनांक...............................

परिशिष्ट –छः

उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 कला (ड्राइंग) संवर्ग सेवा विनियामवली, 2011
नियम–19 (10)– कार्यभार ग्रहण करते समय कारपोरेशन की निष्पक्षता एंव विश्वसनीयता के साथ सेवा करने सम्बन्धी घोषणा–पत्र

मैं एतद्द्वारा निष्ठापूर्वक घोषित करता/करती हूँ कि उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड के अधीन अपनी सेवा अवधि में कारपोरेशन की सेवा में अपने को सदैव निष्ठा या श्रद्धापूर्वक लगाये रखूँगा/रखूँगी तथा उसके कार्यकलापों की पूर्ण रूपेण गोपनीयता बनाये रखूँगा/और अपने कर्तव्य पालन के दौरान या अन्य रूप से जानकारी में आयी किसी भी सूचना का रहस्योढ्घाटन नहीं करूँगा/करूँगी।

हस्ताक्षर.............................
पदनाम..............................
दिनांक..............................